



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

फाल्गुन 18, बुधवार, शाके 1943-मार्च 09, 2022
Phalguna 18, Wednesday, Saka 1943- March 09, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा

अधिसूचनाएं

गृह (गुप-5) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 08, 2022

एस.ओ.234 :- राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 जो कि राजपत्र में एस.ओ. संख्या 234 दिनांक 03.05.2020 में प्रकाशित हुई है, समय-समय पर यथासंशोधित, में निम्नानुसार संशोधन करती है:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में:-

"(i) उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विद्यमान क्रम संख्या 7 व 8 एवं उनकी प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

7.	किसी भी प्रकार के विवाह संबंधी आयोजन, सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार यथा फेस मास्क पहनेगा, सामाजिक दूरी, डबल-डोज वैक्सीनेशन आदि की पालना उक्त आयोजन के आयोजनकर्ता एवं आयोजन स्थल यथा मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन, बारात-घर व धर्मशाला आदि के स्वामी, मैनेजर या अधिभोगी द्वारा पालना नहीं किये जाने पर।	1000/-
8.	प्रत्येक कार्यालय/कार्यस्थल के संचालक यथा राजकीय, निजी, शैक्षणिक संस्थान, कारखाने, शॉपिंग मॉल्स, बैंक, शोरूम, समस्त व्यवसायिक दुकान एवं व्यवसायिक संगठन के सदस्य स्थान पर कितने व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई जा चुकी है तथा कितने व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई गई है की घोषणा चस्पा नहीं करने पर।	1000/-

(ii) उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विद्यमान क्रम संख्या 7ए एवं उनकी प्रविष्टियों को विलोपित किया जाता है। "

[संख्या प.9(16)गृह-5/2020]

राज्यपाल के आदेश से,

मुकेश पारीक,

शासन उप सचिव।